न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 21.06.2021

करण संख्या :–78/2021 (2021/209)

.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

1. सुखलाल आत्मज नंगजी कुम्हार
2. कैलाश आत्मज सोहन कुम्हार

सर्व निवासी कोशीथल सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज धन्ना बलाई
2. मांगीलाल आत्मज धन्ना बलाई
3. काना आत्मज मिठालाल कुम्हार
4. गोटी पत्नि मिठालाल कुम्हार
5. निर्मल उर्फ बंटी आत्मज सोहन कुम्हार
6. पुष्पा पत्नि मनीष कुम्हार
7. मीना पुत्री मीठालाल कुम्हार ना0बा0ब0 जरिये संरक्षक बहिन काना पुत्री मिठालाल कुम्हार
8. सायरी पत्नि सोहन कुम्हार

सर्व निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री भोलाराम माली

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–09.07.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या तीन लगायत आठ एवं मृतक संतोक पुत्री नंगजी कुम्हार एवं हगामी पत्नि नंगजी कुम्हार के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1709 रकबा 0.68 हे0, 1710 रकबा 0.40 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 812 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–78/2021 (2021/209)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या तीन लगायत आठ एवं मृतक संतोक पुत्री नंगजी कुम्हार एवं हगामी पत्नि नंगजी कुम्हार के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1709 रकबा 0.68 हे0, 1710 रकबा 0.40 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 812 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/– (पांच सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/– (पांच सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner